



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

8 आश्विन, 1942 (श०)

संख्या- 467 राँची, बुधवार,

30 सितम्बर, 2020 (ई०)

खान एवं भूतत्व विभाग

अधिसूचना

28 सितम्बर, 2020

संख्या-ख०नि०(विविध)-153/2005- 1226/एम0,-- खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957 (अधिनियम संख्या-67/1957) की धारा-15 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली, 2004 यथा संशोधित में निम्न रूपेण संशोधन किया जाता है।

- (क) यह नियमावली "झारखण्ड लघु खनिज समनुदान (संशोधन) नियमावली, 2020" कहलायेगी।
(ख) यह संशोधन नियमावली झारखण्ड के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।
- झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली, 2004 यथा संशोधित के नियम 9(1)(इ) में परन्तुक को निम्न रूपेण जोड़ा जाता है:-

परन्तु झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली (यथा संशोधित) 2019 के नियम-9(1)(इ) के तहत उन्हें 180 दिनों के अन्दर खनन योजना एवं पर्यावरणीय स्वीकृति समर्पित करना था, परन्तु आवेदक की गलती न रहने के बावजूद निर्धारित समय-सीमा के तहत खनन योजना एवं पर्यावरणीय स्वीकृति उक्त समय परिधि में प्राप्त नहीं हो सका। फलतः उनका खनन पट्टा स्वीकृत नहीं हो सका।

ऐसे मामले में खान आयुक्त झारखण्ड लघु खनिज समनुदान (संशोधन) नियमावली, 2019 के नियम-9(1)(इ) के तहत आवेदक के आवेदन को गुण-दोष के आधार पर निर्णय लेंगे।

3. झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली, 2004 यथा संशोधित के नियम 9(1)(च) एवं 9(1)(छ) को निम्न रूपेण संशोधित किया जाता है:-

झारखण्ड खनिज समनुदान नियमावली, 2004 यथा संशोधित के अन्तर्गत स्वीकृत/नवीकृत/अवधि विस्तारित खनन पट्टे की अवधि की तिथि 31 मार्च, 2020 के स्थान पर 31 मार्च, 2022 तक के लिए अवधि विस्तार मानी जाएगी।

4. झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली, 2004 यथा संशोधित के नियम-9(10) को निम्न रूपेण संशोधित किया जाता है:-

अनुसूची-2(क) में उल्लेखित खनिजों के खनन पट्टों एवं उनकी पट्टा अवधि 31.03.2020 के स्थान पर 31.03.2022 तक विस्तारित मानी जाएगी।

परन्तु, वैसे सभी मामलों में विस्तारित अवधि के अन्तर्गत संबंधित खनन पट्टा के e-Auction की प्रक्रिया को पूरा कर लेना होगा, ताकि विस्तारित अवधि के पूर्ण होने पर समय की बर्बादी न हो एवं राजस्व का ह्रास नहीं हो एवं दिनांक-31.03.2022 को लीज समाप्त होने के ठीक दूसरे दिन से e-Auction के माध्यम से चयनित पट्टाधारक द्वारा कार्य निर्बाध रूप से बिना रुकावट के चलता रहे।

5. झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली, 2004 यथा संशोधित के नियम-9(1)(छ) के उपरांत नियम-9(1)(ज) को निम्न रूपेण जोड़ा जाता है:-

नियम-9(1)(ज):- उपरोक्त प्रावधानों के रहते हुए भी सरकारी कम्पनी या ऐसे निगम जो उसके स्वामित्व या नियंत्रण में है, के खनन पट्टा की अवधि निर्धारण एवं पूर्व में स्वीकृत खनन पट्टों का अवधि विस्तार The Jharkhand Minor Mineral (Mining by Government Company) Rules के अंतर्गत किया जायेगा जिसे अलग से अधिसूचित किया जायेगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

के० श्रीनिवासन,
सरकार के सचिव
